श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.1.2016 से 31.12.17
भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिकः–**

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) ग (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (ए) 3–3/85 पार्ट–II, दिनांक 17.1.89 के दृष्टिगत, श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास तारादेवी, जिला शिमला के अवधि 1.1.2016 से 31.12.2017 के लेखों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अध्यक्ष व सचिव मन्दिर न्यास में कार्यरत्त रहेः–

अध्यक्ष	श्री ज्ञान सागर नेगी	1.1.2016 से 21.6.2017
	श्री भूपेन्द्र कुमार अत्री	21.6.17 से 31.12.17
सचिव	श्री मंजीत शर्मा	1.1.2016 से 6.7.17
	श्री बिशन सिंह ठाकुर	6.7.2017 से 30.11.2017
	श्री एच0एल0 घेज्टा	30.11.2017 से 31.12.2017

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	संक्षिप्त विवरण	राशि (लाखों में)
1	10 (क)	मन्दिर परिसर में रंग रोगन/डिस्टैंपरिंग/पॉलीशिंग के कार्य में अधिक भुगतान	0.06
2	10 (ख)	बिना वैधानिक कटौती (आयकर, सेल्स टेक्स, श्रमकर आदि) के अनियमित भुगतान	0.29
3	11	औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना अनियमित व्यय	0.69

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु संस्था द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दीर्घकाल से लम्बित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेत ठोस प्रयास किए जाएं। यह प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ भी लाया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति **परिशिष्ट "क"** में दी गई है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, जिला शिमला के अवधि 1.1.2016 से 31.12.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियन्त्रक व श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 2.4.18 से 25.4.18 के दौरान मन्दिर परिसर संकट मोचन तारादेवी मन्दिर शिमला में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिये 6/2016 व 7/2017 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/2016 व 3/2017 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2016 से 31.12.2017 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹33200 आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंकर चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—171009 को भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अधियाचना संख्या—3 दिनांक 27.4.2018 द्वारा मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

(क) मन्दिर न्यास द्वारा रोकड़ बही के अनुसार अवधि 1.1.2016 से 31.12.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया हैः—

	Financial Position of Shri Sankat Mochan Temple Shimla						
Year	Opening Balance	Own Source Income	Interest	Total	Expenditure	Deposit Works	Closing Balance
2016	11112398.55	5840759.19	1251102.41	18204260.15	4435401.73	7800000	5968858.42
2017	5968858.42	5870754.96	240950.59	12080563.97	4870090.52	0	7210473.45

दिनांक 31.12.2017 को बैंक बचत खातों तथा हस्तगत राशि के आधार पर बकाया राशि ₹7358296.45 थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

Statement of Bank Balance as on 31.12.2017

Sr.No.	A/C No.	Bank Name	Nature of A/c	Amt.
1	2025	Viaya Bank	Saving	4201795
2	2161	Indusind Bank	Saving	20920.59
3	196	HDFC Bank	Saving	1617752.71
4	877	SBI Shoghi	Saving	616986.75
5	2164	UCO Bank Shimla	Saving	4325.06
6	206	Yes Bank Shimla	Saving	891416.34
			Total	**7353196.45**
			Add Cash in Hand	**5100**
			Grand Total	**7358296.45**

(ख) दिनांक 31.12.2017 को बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

	Particulars	**Amt.**
(i)	Closing Balance as per Cash book	7210473.45
(ii)	Add interest received but not enter in cash book	124
(iii)	Add Cheque issued but not yet presented for payment	147699
(iv)	Bank Balances and cash in hand as 31.12.17	7358296.45

चैक जो जारी किए गए परन्तु भुनाए नहीं गए, का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr.No.	cheque No.	Date	Cash Book page No.	Amt.
1	884373	29.12.17	238	6600
2	884374	29.12.17	238	6600
3	686563	7.12.17	239	2970
4	686556	7.12.17	238	6600
5	884375	29.12.17	238	6600
6	686740	18.12.17	231	10000
7	686725	10.11.17	227	5487
8	686544	23.11.17	234	7000
9	884366	29.12.17	243	4964
10	884367	29.12.17	243	18261
11	884368	29.12.17	244	20875
12	884369	29.12.17	243	15000
13	884371	29.12.17	243	20738
14	884372	29.12.17	243	16004
			Total	**147699**

(ग) रोकड़ बही का रख–रखाव उचित प्रकार से न किया जाना

रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही का रख रखाव सही ढ़ंग से नहीं किया गया था रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ प्रायः उसी दिनांक को की गई थी जिस दिन बैंक में राशि जमा की गई थी जबकि नियमानुसार रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ राशि की प्राप्ति की दिनांक को की जानी अपेक्षित थी तथा रोकड़ बही की जाँच में यह भी पाया गया कि जब कभी कोई चैक बैंक के द्वारा रद्द किया जाता है, तो रोकड़ बही में चैक की प्रविष्टि रद्द किये बिना ही नया चैक जारी कर दिया जाता था।

अतः भविष्य में जब भी कोई चैक रद्द किया जाता है तो रोकड़ बही में आय पक्ष में उसकी प्रविष्टि करने के उपरान्त ही नया चैक जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि रोकड़ बही के रख रखाव में व बैंक समाधान विवरणिका में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।

5 निष्क्रिय बचत बैंक खातों को बन्द करने बारेः–

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, शिमला के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के नाम पर निम्नलिखित बैंकों में बचत खाते गत कई वर्षों से बिना किसी लेन देन के चल रहे है। इन खातों को बिना लेन–देन के चालू रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को तुरन्त बन्द करवाकर इनमें जमा ₹895741.40 को अन्य बचत खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

Sr.No.	Bank Name	A/C No.	Date of last Transcation	Balance as on 31.12.17
1	UCO Bank Shimla	2164	5.12.12	4325.06
2	Yes Bank Shimla	0206	3.6.15	891416.34

6 सोना एवं चाँदीः–

(क) सोनाः– मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार सोने की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

विवरण	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त सोना	अन्तशेष
वर्ष 2016	101.41 mg	————	101.41 mg
वर्ष 2017	101.41 mg	————	101.41 mg

(ख) चाँदीः– मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ग"** में उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी चाँदी की मात्रा की प्राप्ति मन्दिर न्यास में नहीं हुई। अंकेक्षण अवधि के दौरान चाँदी की मात्रा की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त चाँदी	अन्तशेष
2016	11.603.1	–––––	11.603.1
2017	11.603.1	–––––	11.603.1

7 आयः–

(1) रसीदों से प्राप्त होने वाली आय को देरी से मन्दिर न्यास खाते में जमा करनाः–

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के लेखों वर्ष 2016 व 2017 के अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदों की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि रसीदों द्वारा प्राप्त होने वाली दान राशि को समय पर मन्दिर न्यास के खाते में जमा न कर कई दिनों तक अपने पास हस्तगत रखकर राशियों को बैंक खाते में जमा किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है जबकि मन्दिर न्यास में प्राप्त राशियों को उसी दिन या उससे अगले कार्यदिवस के मन्दिर न्यास के खातों में जमा किया जाना अपेक्षित था। अतः इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करें और भविष्य में प्राप्त होने वाली आय को उसी दिन या उससे अगले कार्यदिवस को न्यास खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राप्ति का अस्थाई दुरूपयोग न हो सके।

Sr.No.	Receipts No.	Date of Receipts	Amount of Receipts	Date of Deposit in Bank
1	17108	24.5.16	2000	3.6.16
2	171110	25.5.16	500	3.6.16
3	17111	25.5.16	501	3.6.16
4	17112	25.5.16	1001	3.6.16
5	17113	25.5.16	1001	3.6.16
6	17114	25.5.16	1950	3.6.16
7	17115	Nil	4500	3.6.16
8	17116	29.5.16	1100	3.6.16
9	17117	1.6.16	2213	3.6.16
10	17118	1.6.16	201	3.6.16
11	17119	1.6.16	1300	3.6.16
12	16454	28.5.16	1100	3.6.16
13	16455	31.5.16	1950	3.6.16
14	16783	28.5.16	5000	3.6.16
15	16781	28.5.16	2100	3.6.16
16	16782	28.5.16	500	3.6.16
17	6101 to 6105	12.5.16	606	13.6.16
18	6106	13.5.16	101	13.6.16
19	6107	15.5.16	101	13.6.16

20	6108	16.5.16	101	13.6.16
21	6109	17.5.16	101	13.6.16
22	6110	19.5.16	101	13.6.16
23	6111	20.5.16	101	13.6.16
24	6112	20.5.16	101	13.6.16
25	6113	21.5.16	101	13.6.16
26	6114	21.5.16	101	13.6.16
27	6115	23.5.16	101	13.6.16
28	6116	23.5.16	101	13.6.16
29	6117	23.5.16	101	13.6.16
30	6118 to 6121	25.5.16	303	13.6.16
31	6122 to 6124	26.5.16	303	13.6.16
32	6125 to 6132	27.5.16	707	13.6.16
33	6133 to 6135	29.5.16	303	13.6.16
34	17120	3.6.16	101	13.6.16
35	17121	3.6.16	101	13.6.16
36	17122	3.6.16	101	13.6.16
37	17123	3.6.16	501	13.6.16
38	17124	3.6.16	101	13.6.16
39	17125	4.6.16	101	13.6.16
40	17126	4.6.16	101	13.6.16
41	17127	4.6.16	101	13.6.16
42	17128	4.6.16	101	13.6.16
43	17129	4.6.16	101	13.6.16
44	17130	5.6.16	500	13.6.16
45	1131	5.6.16	100	13.6.16
46	17132	5.6.16	2800	13.6.16
47	17133	7.6.16	500	13.6.16
48	17134	7.6.16	950	13.6.16
49	17135	10.6.16	1000	13.6.16
50	17136	10.6.16	1100	13.6.16
51	17137	10.6.16	2100	13.6.16
52	6051 to 6054	22.5.16	505	13.6.16
53	6055 to 6057	23.5.16	303	13.6.16
54	6058 to 6067	25.5.16	303	13.6.16
55	6061 to 6067	28.5.16	808	13.6.16
56	6068 to 6072	31.5.16	505	13.6.16
57	6073 to 6075	1.6.16	303	13.6.16
58	6075 to 6077	3.5.16	202	13.6.16
59	6078 to 6081	5.5.16	404	13.6.16
60	6082 to 6086	6.6.16	505	13.6.16
61	6087 to 6088	8.6.16	202	13.6.16

TT.Sankant Mochan

62	6089 to 6095	9.6.16	606	13.6.16
63	16520	31.5.16	1001	13.6.16
64	16784	7.6.16	2100	13.6.16
65	16785	8.6.16	2100	13.6.16
66	16139	14.6.16	2100	27.6.16
67	16140	14.6.16	2100	27.6.16
68	16141	14.6.16	2100	27.6.16
69	16142	14.6.16	2100	27.6.16
70	16143	14.6.16	800	27.6.16
71	16144	16.6.16	1100	27.6.16
72	16146	16.6.16	51	27.6.16
73	16147	18.6.16	11000	27.6.16
74	16148	19.6.16	2100	27.6.16
75	16149	19.6.16	5100	27.6.16
76	16150	19.6.16	500	27.6.16
77	16151	19.6.16	1100	27.6.16
78	16152	19.6.16	500	27.6.16
79	16153	21.6.18	2000	27.6.16
80	17913	27.6.17	10000	6.7.16
81	17914	28.6.17	1500	6.7.16
82	17915	29.6.17	1500	6.7.16
83	17916	29.6.17	1100	6.7.16
84	17917	30.6.17	600	6.7.16
85	17918	30.6.17	2250	6.7.16
86	17919	1.7.17	2250	6.7.16
87	17920	2.7.17	501	6.7.16
88	17921	2.7.17	4550	6.7.16
89	17922	2.7.17	500	6.7.16
90	17923	3.7.17	5000	6.7.16
91	17911	27.6.17	500	6.7.16
92	17912	30.6.17	750	6.7.16
93	17807	1.7.17	101	13.7.17
94	17808	1.7.17	500	13.7.17
95	17809	1.7.17	500	13.7.17
96	17810	1.7.17	101	13.7.17
97	17811	11.7.17	2100	13.7.17
98	17812	11.7.17	101	13.7.17
99	8528	30.6.17	101	13.7.17
100	8529	30.6.17	101	13.7.17
101	8530 to 8535	30.6.17	606	13.7.17
102	8536 to 8539	2.7.17	404	13.7.17
103	8540 to 8549	4.7.17	1010	13.7.17

TT.Sankant Mochan

104	17925	6.7.17	12000	13.7.17
105	17926	7.7.17	2100	13.7.17
106	17927	8.7.17	1500	13.7.17
107	17705	7.7.17	10000	13.7.17
108	8628 to 8633	29.6.17	505	29.7.17
109	8634 to 8638	1.7.17	404	29.7.17
110	8639 to 8641	3.7.17	303	29.7.17

(2) किराया माँग एवं संग्रह रजिस्टर का रख–रखाव न किया जानाः–

(क) मन्दिर न्यास श्री संकट मोचन तारा देवी के द्वारा तीन दुकाने किराये पर दी गई थी। परन्तु मन्दिर न्यास के द्वारा किराया मांग एवं संग्रह रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में वर्ष के अन्त में इन दुकानों से कितना किराया प्राप्त किया गया तथा कितना किराया शेष था की जाँच करने में असुविधा होने के साथ–2 किराये की राशि में अनियमितता होने की सम्भवना बनी रहती है। अतः भविष्य में किराया माँग एवं संग्रह रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसमें किराये की वर्ष की कुल मांग व किराए की प्राप्ति तथा शेष किराया राशि दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा उक्त दुकानों के किरायेदारों के साथ अभी तक कोई भी अनुबन्ध नहीं बनाया गया था। अतः किरायेदारों से किराये का अनुबन्ध न बनाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा किरायेदारों के साथ अपेक्षित अनुबन्ध शीघ्र तैयार किया जाये तथा नियमानुसार किराये में प्रत्येक 5 वर्ष उपरान्त 10 प्रतिशत वृद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि मन्दिर न्यास की आय में वृद्धि हो सके।

(3) मन्दिर न्यास में निजि व्यक्तियों को दिए आवास का किराया न वसूलने के कारण मन्दिर न्यास को वित्तीय हानि

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा निम्न महिलाओं को मन्दिर परिसर में आवास की सुविधा प्रदान की गई थी परन्तु इनसे पिछले कई वर्षों से कोई किराया नहीं वसूला गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट किया जाए तथा इनसे जिस तिथि से इनको आवास की सुविधा प्रदान की गई है उस तिथि से गत वर्षों का किराया निर्धारित करने उपरान्त किराये की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत किया जाए।

(ख) उपरोक्त महिलाओं को दिए गए आवासों के बिजली के बिलों के भुगतान पर अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹34304 का भुगतान किया गया जिसकी

वसूली करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत किया जाए।

क्र0सं0	नाम	जिस वर्ष से आवास की सुविधा प्रदान की गई है
1	श्रीमती रक्षा शर्मा	2008
2	श्रीमती सीमा देवी	2014

क्र0सं0	नाम	वर्ष 2016	वर्ष 2017	न्यास द्वारा बिजली के बिल का भुगतान राशि
1	श्रीमती रक्षा शर्मा	3632	4834	8466
2	श्रीमती सीमा देवी	13125	12713	25838
	कुल योग	**16757**	**17547**	**34304**

(4) ऑन लाईन प्राप्त दान राशि के रजिस्टर का रख–रखाव न किया जानाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास के विभिन्न बैंक खातों में ऑन लाईन दान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इसके लिए अभिलेख/रजिस्टर का रख–रखाव न करके इस राशि को सीधे ही रोकड़ बही में दर्ज किया जा रहा था। अतः ऑन लाईन प्राप्त दान राशि के लिए एक अलग से रजिस्टर का रख–रखाव किया जाये जिसमें ऑन लाईन प्राप्त राशि का बैंक बार/तिथि वार विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे उक्त राशि के रख–रखाव व जाँच में सुविधा रहे।

8 कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन व भत्तों के बारे मेंः–

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को देय वेतन व भत्तों इत्यादि का न्यास की आय कर आनुपातिक विवरण निम्न प्रकार से पाया गयाः–

Year	Total Income	Expenses on Estblishment	Exp.Percentage on Total Income
2016	7091861.60	1474227	20.78
2017	6111705.55	1490537	24.38
Total	13203567.15	2964764	22.50

उक्त विवरणानुसार मन्दिर न्यास की आय का लगभग 22.50**%** भाग मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय किया जा रहा है। अतः मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय पर आन्तरिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

9 मन्दिर न्यास द्वारा वार्षिक बजट तैयार न करनाः–

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and charitable endowment Act, 1984 के chapter VI Rule 22 के अनुसार The Trustee of a Hindu Public Regious institution and charitable endowments shall, before the end of December, in each year, shall submit to such authority and in such form and in such manner as as may be prescinbed by the Government, a budget showing the probable receipts and disbursements of the Hindu Public Religious Institution and charitable endowment during the following financial year."

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत न्यास का वर्ष 2016 व 2017 का बजट तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाया, जोकि नियमों की सरासर अवहेलना है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–2 आपत्तियां उठाई जाती रही है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा बजट को तैयार न करने और स्वीकृत न करवाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट को निर्धारित प्रपत्र पर तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 (क) मन्दिर परिसर के रंग रोगन/डिस्टेंपरिंग/पॉलिशिंग के कार्य पर ₹5725 का अधिक भुगतान किए जाने बारेः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास की बैठक दिनांक 15.9.2016 की मद संख्या 7 के अनुसार मन्दिर न्यास में रंग रोगन/डिस्टैंपरिंग/पॉलिशिंग करवाने का निर्णय लिया गया तथा इस कार्य को लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया। उक्त कार्य पर ₹765631 का व्यय किया गया।

उक्त भुगतान में निम्न टिप्पणियाँ अपेक्षित हैः–

1 उक्त भुगतान से पूर्व टैण्डर के स्थान पर निविदाएं आमन्त्रित की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

2 निविदाओं को आमन्त्रित करने हेतु लिखा गया पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3 उक्त बिल की मद संख्या 13 (Wall painting two coats with plastic emulsion paint of approved brand and manufacturer on under coted wall surface to give an even shade including thoroughly brushing the surface free from mortar dropping and other foreign matter and sand papered smooth including applying of putty a required for making the surface) की मात्रा 272.74 वर्ग मीटर के स्थान पर 431.79 वर्ग मी0 दर्शाने के कारण 159.05 वर्ग मीटर का ₹36 प्रति वर्ग

मीटर की दर से संविदाकार को ₹5725 का अधिक भुगतान किया गया। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत किया जाए।

(ख) संविदाकार के बिल से नियमानुसार वैधानिक कटौती किये बिना ₹0.29 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः—

नियमानुसार पैरा 10 (क) में उल्लेखित निर्माण कार्य के बिल से निम्नविवरणानुसार ₹29428 आयकर, बिक्रीकर व श्रम कर की कटौती की जानी अपेक्षित थी, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उक्त रंग/रोगन/डिस्पैम्परिंग के कार्य का भुगतान संविदाकार को आयकर, बिक्रीकर व श्रमकर इत्यादि की कटौती किये बिना किया गया। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाएः—

	कटौती योग्ग्य राशि
2% Income Tax	14716
1% Sales Tax	7356
1% Cess	7356
Total	**29428**

11 औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना ₹0.69 लाख का अनियमित व्ययः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास में निम्न विवरणानुसार ₹68707 का व्यय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 के अनुसार आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना ही किया गया है जिससे बाजारी प्रतियोगिता का लाभ नहीं उठाया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 15.4.2018 द्वारा मन्दिर न्यास को स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक मन्दिर न्यास से कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

वा0सं0	**दिनांक**	**जिसे भुगतान किया गय**	**विवरण**	**दर**	**राशि**
167	14.10.16	श्री ओम प्रकाश कंवर	दिनांक 10.7.2016 से 30.9. 2016 तक 11 नं0 पानी के टैंकरों की आपूर्ति के लिए भुगतान किया गया	₹1100 प्रति टैंकर	12100
179	20.10.16	मैसर्ज कल्याण चौहान कुसुम्पटी शिमला	रेता (600 फुट)	₹4500 प्रति टिप्पर	13500

TT.Sankant Mochan

181	20.10.16	श्री विनोद कुमार तारादेवी शिमला	रेता कोटा स्टोन की ढुलाई हेतु मात्रा (600 फुट रेता व कोटा स्टोन 50)	दर नहीं दर्शाई है	13000
97	30.06.17	–यथोपरि–	दिनांक 4.5.2017 से 30.5.17 तक 11 नं0 पानी के टैंकरों की आपूर्ति के लिए भुगतान किया गया।	₹1100 प्रति टैंकर	12100
56	23.3.17	मै0 पूनम कारपेट पानीपत बिल संख्या–बी/2015 /2017 दिनांक 24.3.17	मन्दिर में कारपेट लगाने के लिए 6 नं0 (Foam) की खरीद करने की अदायगी की गई	₹2650 प्रति (Foam)	15900

12 मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को आबंटित आवासों के बिजली के बिलों ₹1.30 लाख का भुगतान मन्दिर न्यास निधि से अनियमित रूप से करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को आबंटित आवास में लगे बिजली के मीटरों के बिलों का भुगतान कर्मचारियों द्वारा न करके यह भुगतान मन्दिर न्यास निधि से किया जा रहा है, जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के आवासों पर लगे मीटरों से सम्बन्धित बिजली के बिलों अवधि 1.1.16 से 31.12.17 के दौरान ₹130557 का भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जाए क्योंकि **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार कुछ कर्मचारियों के बिल ₹5000 वार्षिक तो कुछ का ₹33000 का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा किया गया है।

13 मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को आबंटित आवासों की लाईसैन्स फीस की वसूली न करना

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। अंकेक्षण में पाया गया कि जिन कर्मचारियों को न्यास द्वारा परिसर मे आवास दिये गये है, उनके वेतन से अभी तक सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लाईसैन्स फीस की कटौती नहीं की जा रही है, इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी0ए0डी0–7 (जी)–1–12/81 दिनांक 26.10.09 में भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को बिना किराये का आवास (Rent Free acmodation) न की जाए। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को बिना लाईसैन्स फीस की वसूली के आवास का आबंटन अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि जिन

कर्मचारियों को मन्दिर न्यास द्वारा आवास आबंटित किए गए है। उनके वेतन से प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लाईसैन्स फीस की शीघ्र वसूली की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 क्रय की गई सामग्री/मदों का उपयोग न दर्शाने बारेः–

श्री संकट मोचन न्यास के अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा मन्दिर परिसर में होने वाले मुरम्मत कार्यों के लिए जो सामग्री खरीदी गई थी उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में तो की गई थी, परन्तु उक्त खरीदी गई सामग्री के उपयोग से सम्बन्धित विवरण स्टॉक रजिस्टर में नहीं दिया गया था, जिसके अभाव में उक्त क्रय की गई सामग्री के उपयोग के सत्यापना की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः भविष्य में स्टॉक रजिस्टर में खरीदी गई सामग्री के उपयोग का पूर्ण विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इसमें किसी प्रकार की दुर्विनियोजन की सम्भावना न रहे। इस प्रकार के कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0/दि0	जिसे भुगतान किया गया	क्रय का विवरण	मात्रा	दर	राशि
36/20.2.17	मै0 जोशी हार्डवेयर कच्ची घाटी शिमला	ब्रास नल्का	1 नं0	191	191
46/2.3.17	गुप्ता इलैक्ट्रिकलज लोअर बाजार शिमला	5 एम्पेयर प्लग	5 नं0	30	150
		15 एम्पेयर प्लग	5 नं0	40	200

15 हॉल की बुकिंग रद्द करने पर प्रतिभूति राशि से कटौती न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री हरदयाल ठाकुर, शिमला द्वारा रसीद संख्या 17196 दिनांक 29.7.2016 द्वारा अपनी पुत्री के विवाह हेतु दिनांक 8.12.2016 के लिए मन्दिर न्यास के हॉल की बुकिंग के लिए ₹7500 जमा करवाये गये। उसके उपरान्त श्री हरदयाल की पुत्री द्वारा मन्दिर न्यास को दिनांक 27.8.2016 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा अब विवाह के उत्सव में कुछ परिवर्तन होने की वजह से वह मन्दिर न्यास मे विवाह समारोह का आयोजन नहीं कर सकते इसलिए उन्हें उनकी बुकिंग राशि वापिस की जाए। मन्दिर न्यास द्वारा आवेदक को वाउचर संख्या 142 चैक संख्या 436738 दिनांक 5.9.2016 द्वारा ₹7500 की पूर्ण बुकिंग राशि वापिस की गई। इस प्रकार बिना कटौती किए पूरी बुकिंग राशि वापिस किए जाने से लोग कई बार 6 माह पूर्व हॉल की बुकिंग करवा देते है व समय पूरा होने पर बुकिंग रद्द करवा

देते है जिससे कई बार स्थानीय/जरूरत मंद लोगों को समय पर हॉल की बुकिंग नहीं मिल पाती व मन्दिर न्यास को भी इससे वित्तीय हानि होती है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि हॉल की बुकिंग रद्द होने की स्थिति में अन्य निजि धर्मशाला/संस्थान की तर्ज पर बुकिंग राशि में से एक निर्धारित राशि को कटौती किए जाने का प्रावधान मन्दिर न्यास की बैठक में किया जाये ताकि बुक्रिं रद्द करने की प्रवृति पर रोक लगाई जा सके तथा मन्दिर न्यास को भी वित्तीय हानि न हो।

16 हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग से निक्षेप कार्यों (Deposit Work) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्न निर्माण कार्यों हेतु ₹78 लाख का भुगतान अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डल–2 धामी जिला शिमला को किया गया था। इस सम्बन्ध में इन भुगतान की राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्ण करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे जोकि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः सम्बन्धित विभाग से इन भुगतान की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्ण करने सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

वा0सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)
33	29.2.16	श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास में कीर्तन हाल के निर्माण हेतु दूसरी किश्त का भुगतान	0.50
158	20.9.16	श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास में कीर्तन हाल के निर्माण हेतु तीसरी व अन्तिम किश्त का भुगतान	28.00

17 दूरभाष के बिल को देरी से जमा करवाने के फलस्वरूप ₹81 का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कार्यालय दूरभाष नं0 0177–2830205 के अवधि 1.9.2016 से 30.9.16 के बिल में ₹81 का भुगतान बिल को निर्धारित तिथि के पश्चात जमा करने के कारण दण्ड शुल्क के रूप में किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक भुगतान की गई ₹81 को उत्तरदायी से वसूल करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाए।

Vr.No.	Date	Current Bill Amt.	Penalty paid for late deposit of bill	Total Amt.paid
180	20.10.16	4663.00	81.00	4744.00

18 नगर निगम शिमला को पानी के बिल में बकाया राशि ₹10501 का भुगतान बिना विवरण प्राप्त किए करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निंगम को वाउचर संख्या 54 माह 03/2017 (बिल संख्या–524387 दिनांक 28.2.2017) खाता संख्या 21738 आई0डी0 नं0 10721728) द्वारा अवधि 01.08.2016 से 28.02.2017 तक ₹14752 पानी के बिल का भुगतान किया गया। उक्त बिल में ₹10501 पिछला बकाया सम्मिलित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा नगर निगम से उक्त पानी के बिल में मांगी गई बकाया राशि ₹10501 का विवरण प्राप्त किए भुगतान कर दिया जिससे उक्त बकाया राशि के भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः नगर निगम से उपरोक्त बकाया राशि का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए ताकि उक्त भुगतान की जाँच की जा सके तदानुसार अपेक्षित अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

19 सूखे चीड़ के वृक्ष के कटान में पाई गई अनियमितताएँः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 166 दिनांक 14.10.2016 द्वारा सर्व श्री आशिक हुसैन, वशीट अहमद व या अववास, मस्जिद मिडल बाजार शिमला को 2 सूखे चीड के वृक्ष जोकि मन्दिर परिसर में एक कीर्तन भवन के पास व दूसरा बाबा जी के मन्दिर के समीप था, को काटने के लिए ₹9000 का भुगतान किया गया जिसमें निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(1) उक्त कार्य करवाने से पूर्व निविदाऐं आमन्त्रित नहीं की गई।

(2) उक्त वृक्ष किस श्रेणी के थे तथा उक्त वृक्षों को काटने से प्राप्त लकड़ी का विवरण अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 18.4.2018 द्वारा मन्दिर न्यास को स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक मन्दिर न्यास से कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः उक्त वृक्षों को काटने से प्राप्त लकड़ी का स्टॉक रजिस्टर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये।

(3) उक्त भुगतान ₹9000 की प्राप्ति की रसीद में प्राप्त कर्ताओं द्वारा लगाये गये अंगूठे के निशान को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

20 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान से सम्बन्धित वेतन रजिस्टर का रख–रखाव न किया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु वेतन रजिस्टर का रख रखाव न करके केवल भुगतान वाउचर पर ही कर्मचारियों के वेतन के भुगतान का विवरण दिया गया था। अतः भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार वेतन

रजिस्टर का रख रखाव किया जाए जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को किए जा रहे वेतन राशि का विवरण दिया जाये ताकि वेतन बिलों के रख–रखाव में और जाँच में सुविधा होने के साथ–2 इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की समभावना न रहे।

21 **सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस औरगनाईजेशन को किए गए भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न किया जानाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाईजेशन को श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के सफाई के कार्य हेतु ₹15000 का भुगतान प्रतिमाह किया जाता है तथा उक्त संस्था के साथ सफाई के अनुबन्ध का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाता है परन्तु उक्त संस्था को किए गए भुगतानों से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है। अतः भविष्य में सुलभ इन्टरनैशनल सोशल सर्विस आर्गनाईजेशन को किए गए भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव किया जाए ताकि प्रतिमाह किये जा रहे भुगतानों व वर्ष के पश्चात किये जाने वाले सफाई अनुबन्ध के नवीनीकरण करने की जाँच में सुविधा रहे तथा इसके भुगतानों में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

22 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

23 **निष्कर्षः–** अभिलेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 –0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)261/08–खण्ड–2–6155–6158, दिनांक,–15.09. 2018 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :– 1. मन्दिर अधिकारी श्री संकट मोचन न्यास, तारा देवी शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजें।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव,(भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
3. उपायुक्त शिमला एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री संकट मोचन, जिला शिमला (हि0प्र0)
4. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

फोन नं0 –0177–2620881

परिशिष्ट "क" **पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में**

(क) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 17.8.04 से 31.12.09

1	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (ii) (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–14	अनिर्णीत
7	पैरा–15 (1) (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–16	अनिर्णीत
10	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा–18 (1) (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–18 (1) (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–18 (2) (क)	अनिर्णीत
15	पैरा–18 (2) (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा–18 (2) (ग)	अनिर्णीत
17	पैरा–18 (3) (क)	अनिर्णीत
18	पैरा–18 (3) (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा–18 (3) (ग)	अनिर्णीत
20	पैरा–19	अनिर्णीत
21	पैरा–35	अनिर्णीत
22	पैरा–36	अनिर्णीत
23	पैरा–38 (घ)	अनिर्णीत

(ख)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.10 से 31.12.10

1	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत

3	पैरा–12	अनिर्णीत	
4	पैरा–13	अनिर्णीत	
5	पैरा–15	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.11 से 31.12.12

1	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–10	अनिर्णीत	
4	पैरा–11	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–13	अनिर्णीत	
7	पैरा–14	अनिर्णीत	
8	पैरा–15	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.13 से 31.12.14

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–9	अनिर्णीत	
3	पैरा–10 (क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–11 (क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–13 (ख)(ग)(घ)(ङ)(च)	अनिर्णीत	
7	पैरा–14	अनिर्णीत	
8	पैरा–16	अनिर्णीत	
9	पैरा–17	अनिर्णीत	
10	पैरा–18	अनिर्णीत	
11	पैरा–19	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.15 से 31.12.15

1	पैरा–3	निर्णीत	
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (क, ख)	निर्णीत	
5	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(सटिप्पण उतर के आधार पर)
6	पैरा–7 (1 , 2, 3, 4)	निर्णीत	(सटिप्पण उतर के आधार पर)
7	पैरा–8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
8	पैरा–9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
9	पैरा–10 (1)	निर्णीत	(सटिप्पण उतर के आधार पर)

10	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत	
11	पैरा–11.1	अनिर्णीत	
12	पैरा–11.2	अनिर्णीत	
13	पैरा–11.3	अनिर्णीत	
14	पैरा–11.4	निर्णीत	(सटिप्पण उतर के आधार पर)
15	पैरा–11.5	अनिर्णीत	
16	पैरा–12	निर्णीत	(सटिप्पण उतर के आधार पर)
17	पैरा–13	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पुनः प्रारूपित)
18	पैरा–14	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पुनः प्रारूपित)
19	पैरा–15	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

दिनांक 1.1.16 को प्रारम्भिक शेष	66
(+)वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	19
(–)वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैर	13
दिनांक 31.12.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	72